(66)

/निग0-4536/2018/शहडोल/भू.रा0 (173)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर,

शहड़ोल संभाग, लिंक कोर्ट रीवा, म0प्र0

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

अच्छेलाल तनय श्री छोटानी, उम्र 55 वर्ष, पेशा खेती एवं मजदूरी, निवासी ग्राम पपौढ़, तहसील ब्योहारी, जिला शहड़ोल, म0प्र0

.... निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

विशम्भर तनय श्री सरमन धोबी, निवासी ग्राम पपौढ़, तह0 ब्योहारी, जिला शहड़ोल म0प्र0

.... ग़ैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

अधि0 श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा पेश। 18-7-18

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, तहसील ब्योहारी, जिला शहड़ोल, म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0 39/अ–3/1995–96 में पारित आदेश दिनांक 30.05.1996

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

<u>प्रकरण का सूक्ष्म विवरण</u>

1. यह कि आराजी खसरा क्र0 142/4 रकबा 1.011 हेक्टे0 के अंश रकबा 2.00 ए0 आवेदक द्वारा लालमनि पिता कोइलया धोबी से क्रय कर काबिज दखील है। इसी तरह से अनावेदक द्वारा भी आराजी नं0 142 से रकबा 2.22 ए0 भूमि लालमणि पिता को कोइलया धोबी से क्रय किया था। ये भूमियां ग्राम पपौढ़, तहसील ब्योहारी, जिला शहड़ोल, म0प्र0 में स्थित है। अनावेदक जो काफी चतुर, चालाक व पढ़ा–लिखा व्यक्ति है,

66

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक निग.4536 / 2018 — जिला—शहडोल

अच्छेलाल / विश्वम्भर

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील व्यौहारी के प्रकरण क्रमांक 39 / अ—3 / 1995—96 में पारित आदेश दिनांक 30.05.1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक .06.19 को कलेक्टर, जिला शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	